विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तरालेख

प्रश्न	**उत्तर**
2 (क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव के निवासियों के अन्त्योंदय कार्ड बनाये जाने हेतु आशुतोष सिन्हा,सभापति संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति का पत्र दिनांक 30 अक्टूबर,2023 जो कि प्रमुख सचिव मुख्य मंत्री को सम्बोधित था प्राप्त हुआ है?	जी हां।
(ख) यदि हां,तो सदस्य के साथ पीडितों के संलग्न प्रार्थना-पत्र के मुख्य बिंदु क्या-क्या थे और उक्त बिंदुओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?	जिलाधिकारी, उन्नाव की आख्या दिनांक 24.07.2024 के अनुसार श्री आशुतोष सिन्हा,मा0सभापति संसदीय एवं सामाजिक सदभाव समिति उ0प्र0 विधान परिषद के पत्र दिनांक-30-10-2023 के साथ प्राप्त शिकायतकर्ता श्री रूपनारायण द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक-25-10-2023 के माध्यम से मृतक भाई स्व0 श्री पन्नालाल के नाम जारी अन्त्योदय राशन कार्ड को स्वयं के नाम जारी करने एवं श्री सुधीर कुमार कश्यप द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक-25-10-2023 के माध्यम से अन्त्योदय राशन कार्ड बनवाये जाने तथा राशन दिलवाये जाने की मांग की गयी है। जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया है कि अन्त्योदय कार्डधारक पन्नालाल का राशन कार्ड मृत्योपरान्त निरस्त कर अन्य पात्र परिवार के नाम से राशन कार्ड निर्गत किया गया है। शिकायतकर्ता श्री रूपनारायण स्व0पन्नालाल के भाई हैं, जिनका पृथक परिवार है तथा उनकी पत्नी लज्जावती के नाम से पूर्व से ही पात्र गृहस्थी राशन कार्ड संख्या-215640966539 (यूनिट 03) बना हुआ है, जिस पर उनके द्वारा निरन्तर राशन प्राप्त किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त अन्य शिकायतकर्ता श्री सुधीर कुमार कश्यप के दो पुत्रों श्री रामजी व श्री रामकिशोर के परिवार में (महिला मुखिया के नाम) क्रमशः राशन कार्ड संख्या-215641113585 (यूनिट 02) व 215641113584 (यूनिट 02) पात्र गृहस्थी राशन कार्ड निर्गत है, जिस पर उनके द्वारा प्रत्येक माह राशन प्राप्त किया जा रहा है। श्री सुधीर कश्यप को अपना व पत्नी श्रीमती श्यामकुमारी का आधार कार्ड/वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचित किया गया, जिससे उनका नाम उनके पुत्रवधुओं के राशन कार्ड में सम्मलित किया जा सके अथवा उनकी पत्नी के नाम पात्र गृहस्थी राशन कार्ड निर्गत किया जा सके। श्री सुधीर कश्यप द्वारा अभी तक वांछित अभिलेख पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया तथा उनके द्वारा मात्र अंत्योदय राशन कार्ड की मांग की जा रही है, जबकि वर्तमान में जनपद में अन्त्योदय राशन कार्ड हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने के कारण नया अन्त्योदय राशन कार्ड निर्गत नहीं किया जा सकता।
(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं,तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।